प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 78/**2026** (अपील सूचना का अधिकार)

Prakash Chandra Paliwal Add: 287-A, Shree nath villa, Near Charbhuja Mandir, Ganesh Nagar, Parda, Tehsil Girwa, Udaipur

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 25/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 3290845676317283 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 26.01.2026 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सुखेर के आराजी संख्या 363, 364, 369 व 117 की संपरिवर्तन पत्रावली के संबंध में सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 1429061250 दिनांक 23.03.2026 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/78/26/449–50 दिनांक 23.03.2026 से लिखा गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा कोई प्रत्युत्तर अथवा सूचना आदिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.01.2026 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में राजस्व ग्राम सुखेर के आराजी संख्या 363, 364, 369 एवं 117 की संपरिवर्तन (कन्वर्जन) पत्रावली से संबंधित अभिलेखों की सूचना चाही गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील करने के उपरांत भी प्रत्यर्थी द्वारा न तो निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध करवाई गई तथा न ही प्रथम अपील के उपरांत कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया, जो कि अधिनियम के प्रावधानों का विपरित है। अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचना अभिलेखों में विद्यमान होने की स्थिति में उपलब्ध कराई जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गई संपरिवर्तन पत्रावली से संबंधित उपलब्ध अभिलेखों की प्रतिलिपियाँ अधिनियम में निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध करवाई जाएं।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by G... rav Agrawal
Designation: Coll... r & District Magistrate
Date: 2026.05.2... 4:30:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 22423675
M e-Sign